COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(170)

न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2013 निगरानी R-236-I/14

कैलाश पिता रामचन्द्र जी (रामलाल)
जाति खाति निवासी ग्राम सुकल्या
कृषक ग्राम नगोरा त. व जिला देवास
---------निगरानिकृर्ता

विरूद्ध

लीलाधर पिता देवीलाल जाति खाति
निवासी सुनवानी महाकाल कृषक नागौरा
तहसील देवास म.प्र
---------रिस्पांडेन्ट

माननीय महोदय,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म प्र भु–राजस्व संहिता

प्रकरण के तथय

यह कि ग्राम नागौरा पटवारी हलका नं 29 मे स्थित सर्वे नं 411 रकबा 0.05 हे भुमि स्थित है। के संम्बध मे रिस्पोडेन्ट ने संहिता कि धारा 250 के अंन्तर्गत एक आवेदन पत्र तहसिल न्यायालय मे प्रस्तुत किया। वह साक्ष्य विधान की धारा 67 एवं 77 के तहत लिखतम प्रमाणित हुए बिना एवं मोखिक साक्ष्य से दावा प्रमाणिम हुए बिना तहसिल न्यायालय ने अपने प्रकरण क. 4 अ 70/2009–2010 मे पारित आदेश दिनांक 24–7–10 से रिस्पांडेन्ट से आवेदन स्विकार किया जिसके विरूद्ध निगरानिकर्ता ने अनुविभागिय अधिकारी के समक्ष एक अपिल प्रस्तुत कि जो प्र कं 17/2009–10 अपिल पर कायम हो कर के आदेश ता 6–6–2011 से स्विकार हुई । इसके विरूद्ध रिस्पाडेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय अपर आयूक्त महोदय उज्जैन के समक्ष अपिल प्रस्तुत कि जो प्र कं 459 पर कायम हो कर के आदेश ता 18–11–13 से स्विकार हुई । जिससे असन्तुष्ट हो कर के निम्नलिखीत आधारो पर यह निगरानी प्रस्तुत है।

निगरानी के आधार

1. यह कि, माननीय अधिनस्थ न्यायालय का विवादीत आदेश विधीविधान से विपरित हो कर के निरस्त किए जाने योग्य है।

2. यह कि, माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे आये तथ्य एवं साक्ष्य के बारे मे कोई विवेचना किए बिना आदेश पारित करने में त्रुटि कि है।

3. यह कि, माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवादित आदेश को कथित समयाअवधि को आधार बनाते हुए पारित करने में गंभिर वैधानिक त्रुटि कि है।

4. यह कि, माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने सिमांकन को विधिक रूप से

(170)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 236-I/14 कैलाश / लीलाधर जिला देवास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
23-3-2018	आवेदक की ओर से श्री एन.एस. सिसौदिया, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाने का अनुरोध किया गया । अनुरोध स्वीकार किया जाता है । आवेदक द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	